

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	सर्वप्रिय सेक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष - 45/2019 दिनांक : 01.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 15.05.2019. मेमो नं. ZP-1295/JD(NC)/2019/11967. हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: GGM/343/75/2019/37
3. स्थान	सेक्टर 37D, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5.4875 एकड़ में कुल 754 अपार्टमेंट में से 754 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% प्लेट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑनगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण				अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)			
2BHK TYPE-1	120	557.586	74.713	2,267,700.32	113,385	453,540
2BHK TYPE-2	120	601.944	74.519	2,445,037.22	122,252	489,007
2BHK TYPE-3	120	571.116	68.265	2,318,597.89	115,930	463,720
2BHK TYPE-4	120	572.43	75.94	2,327,688.09	116,384	465,538
2BHK TYPE-5	59	552.258	72.937	2,245,499.57	112,275	449,100
2BHK TYPE-6	19	553.442	84.239	2,255,886.83	112,794	451,177
1BHK TYPE-7	1	498.007	63.895	2,023,976.45	101,199	404,795
1BHK TYPE-8	1	499.191	75.197	2,034,363.71	101,718	406,873
3BHK TYPE-9	2	645.291	103.119	2,631,164.14	131,558	526,233
3BHK TYPE-9 (MQ)	38	645.291	103.119	2,631,164.14	131,558	526,233
2BHK TYPE-10	2	595.066	86.22	2,423,374.67	121,169	484,675
2BHK TYPE-11	140	603.118	83.313	2,454,127.42	122,706	490,825
1BHK TYPE-12	12	475.134	96.424	1,948,746.85	97,437	389,749

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।

7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण • फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ: IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम: रेड मरंडी/माइल स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार: ऑयल बांड डिस्टम्पर • सेनिटरी फिटिंग: ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग: ISI मार्क।

8. आवेदन की समय सीमाएँ i) आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Sarvpriya Securities Pvt. Ltd. Address : Corp. and Regd. Office: Unit No. 201B, 2nd Floor, Tower A, Signature Tower, South City-1, Gurugram, Haryana - 122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 22.07.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता: 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लेट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस कॉलोनी में अपना प्लेट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लेट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक प्लेट चुनना होगा।

आवंटन के मानक: 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्टी से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्टी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्टी की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जांच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट topharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।



HRERA REG. NO.: GGM/343/75/2019/37

12 लाख रुपये के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये ब्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ**

HOME LOAN PARTNERS:          

7053-121-121

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure or otherwise requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <https://haryanaeraa.gov.in>. Journey time shown, if any is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10,7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount